



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066.
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110 066.

केवल वैबसाईट के माध्यम से

संख्या: समन्वय /5(15)2009/International worker/

दिनांक 28.06.2012

सेवा में,

सभी आंचलिक अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय कार्यालय ।

02 JUL 2012

विषय:- कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में एतद्वारा सलग्न श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पत्र संख्या एस. 35025 /09/2011 / एस.एस - 11 दिनांक 24.05.2012 एवं भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 382(अ) दिनांक 24.05.2012 की प्रति को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्राप्त करें।

भवदीया,

अनुलग्नक : यथोपरि

अनिता

(अनिता एस. दीक्षित)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I (समन्वय)

प्रतिलिपि: -

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव .
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी / सभी आंचलिक लेखा कार्यालय/ मुख्य सतर्कता अधिकारी / सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय/ निदेशक, नाटरस .
3. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सभी सहायक भविष्य निधि आयुक्त , मुख्यालय .
4. सभी निरीक्षण अधिकारी / अनुभाग अधिकारी , सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान.
5. महा सचिव कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारी एसोसिएशन .
6. महा सचिव कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन .
7. महा सचिव कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ यूनियन मुख्यालय .
8. वैब प्रशासक वैबसाईड पर अपलोड करने हेतु .

शिव कुमार

(डॉ. शिव कुमार)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- II (समन्वय)



Send me copy
& send for
Review
Recd (2012)

128

Kind attention; Ms. ^{Sh. K. C. Pandey, Acc. E.P.O.} ~~Aparna Sinha~~, M/o Commerce

गिस्ती सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L. 33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231
No. 231

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 24, 2012/ज्यैष्ठ 3, 1934
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2012/JYAJSTHA 3, 1934

धन और रोजगार बंगालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2012

सा.सा.वि. 382(अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

- (1) यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि (एतीय संशोधन) योजना, 2012 कही जाएगी।
(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पैरा (B3) में, अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के संबंध में विशेष उपबंध, "(घ) अपर्यजित कर्मचारी" कोष्ठकों और शब्दों से प्रारम्भ होने वाले तथा "ऐसे किसी करार" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

(घ) "अपर्यजित कर्मचारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(1) कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार जो अपने मूल देश के, जिसके साथ भारत में पारस्परिकता के आधार पर कोई सामाजिक सुरक्षा करार किया है, नागरिक या निवासी के रूप में योगदान दे रहा है और ऐसी अवधि और निबंधनों के लिए, जो ऐसे किसी करार में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, विरोधित कर्मकार की प्राप्ति का उपयोग कर रहा है; अथवा

1866 GI/2012

(1)

